

डिक्री

यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठारीन अधिकारी :- श्री बागीरथ राम चौधरी आर.ए.एस.

न० - 172/2024

वादा :-  
1. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. अनीता पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. शारदा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. विमला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेटराना जरिये शाखा प्रबंधक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ बागीरथ राम चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष  
कील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बेनीवाल की उपस्थिति में  
निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की  
जाती है कि रोही मौजा 1 जीजीएम के खाता सं० 75/69 के मु० न० 20 के किला न० 1, 2, 3,  
8 ता 12, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, मु० न० 21 के किला न० 2, 3, 4, 5/1,  
5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1,  
25/2, 25/3. कुल 6.6790 है० जिसमें नहरी 6.1550 है०, गै० मु० रास्ता 0.039 है०, गै० मु० खाला 0.  
125 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामकुमार के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक  
5 एमएसआर के खाता सं० 73/4 के मु० न० 33 के किला न० 9, 10, 11, 12, 19, 20 मु० न०  
34 के किला न० 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
मु० न० 35 के किला न० 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 7.2430 है० नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी  
सं० 1 रामकुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त कृषि भूमि में से,  
प्रतिवादी सं० 1 रामकुमार अकेले के बजाए वादी सुभाषचन्द्र व प्रतिवादी सं० 1 रामकुमार को  
वहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 5  
ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा त्याग वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर  
लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प  
ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार  
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान  
अपना अपना वहन करें।

यह पचा डिक्री आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की  
मुद्रा से जारी की गई।

(बागीरथ राम चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़